



उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट-महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानों रोड, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट-www.sssc.uk.gov.in

mail: chayanayog@gmail.com

पत्रांक-परीक्षा/ 185/2025-26

दिनांक:- 20 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति/अभ्यर्थन निरस्तीकरण

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा स्नातक स्तरीय पदों (विभिन्न विभागों हेतु) की लिखित परीक्षा दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को आयोजित की गई। उक्त लिखित परीक्षा के आधार स्नातक स्तरीय पदों के अन्तर्गत अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु जारी औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की प्रेषित संस्तुति के उपरान्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विज्ञापित पदों के अन्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अवशेष पदों पर चयन किए जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में रिट याचिका संख्या-471/2025 मुकेश व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य योजित की गई।

उक्त याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा के अन्तर्गत दिव्यांग श्रेणी एवं अन्य अवशेष पदों के सापेक्ष 1.5 गुना अभ्यर्थियों की अभिलेख सन्निरीक्षा हेतु औपबन्धिक श्रेष्ठता सूची दिनांक 14-07-2025 को आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा दिनांक 21-07-2025 को आयोग में की गई।

सूच्य है कि आयोग द्वारा अभिलेख सन्निरीक्षा की तिथि 21 जुलाई, 2025 को स्नातक स्तरीय (विभिन्न विभागों हेतु) पदों पर चयनित/उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा पद के अनुरूप शैक्षिक अर्हता धारित न करने के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है:-

क्र०सं०	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	अभ्यर्थन निरस्त किए जाने का कारण
1	1242860371	SUSHMITA CHAUDHARY	BIRENDRA SINGH CHAUDHARY	- अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सन्निरीक्षा की तिथि को कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम सी०सी०सी० का प्रमाण पत्र एवं 01 वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट तथा फोरमैन परिसम्पत्ति से संबंधित कार्य का अनुभव प्रस्तुत नहीं किया गया। - अतः अभ्यर्थी द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कार्यालय सहायक-तृतीय पद एवं फोरमैन परिसम्पत्ति पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारित न करने के आधार पर अभ्यर्थन निरस्त।
2	1208860295	BABITA	VIKRAM SINGH GUSAIN	- अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सन्निरीक्षा की तिथि को कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम सी०सी०सी० का प्रमाण पत्र एवं 01 वर्ष का डिप्लोमा/सर्टिफिकेट तथा फोरमैन परिसम्पत्ति से संबंधित कार्य का अनुभव प्रस्तुत नहीं किया गया। - अतः अभ्यर्थी द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कार्यालय सहायक-तृतीय पद एवं फोरमैन परिसम्पत्ति पद हेतु निर्धारित

(Signature)

(Signature)

				शैक्षिक अर्हता धारित न करने के आधार पर अभ्यर्थन निरस्त।
3	1234860374	ROHINI	VIKRAM SINGH RANGARH	अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सन्निरीक्षा की तिथि को कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम सी0सी0सी0 का प्रमाण पत्र दिनांक 24-01-2024 का प्रस्तुत किया गया, जो विज्ञापन की अन्तिम तिथि दिनांक 23-11-2023 के बाद का है। अतः अभ्यर्थी के पास ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता- कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण-पत्र विज्ञापन अवधि का न होने के आधार पर अभ्यर्थन निरस्त।

(डॉ० शिव कुमार बरनवाल)
सचिव

